

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION प्रदूषण नियंत्रण समिति POLLUTION CONTROL COMMITTEE

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Dolly Gunj, Port Blair-744 103 Tel/Fax 250370 e-mail: dstpcc-andamans@nic.in

PUBLIC NOTICE

The Coast Guard Regional Head Quarter-CGRHQ, Port Blair Andaman & Nicobar Islands is currently having a stock of 12648 litres (Type-II 6575.5 ltrs & Type-III 6072.5 ltrs) of Expired Oil Spill Dispersant (OSD) which is categorized under Schedule of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

The expired Oil spill dispersant is required to be disposed off as per provisions made under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and CPCB Guidelines to ensure environmental compliance.

In this regard, The Andaman & Nicobar Pollution Control Committee (ANPCC) hereby requests interested agencies/recyclers who can collect, store and safely transport and dispose off the hazardous waste as per the above-mentioned rules & guidelines may approach immediately. The interested agency is mandated to apply for CTE/CTO under Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974, Air (Prevention and Control of pollution) Act 1981 and Authorization as per Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

Member Secretary, ANPCC

File No. 9-2/PCC/M.P/2021 14

Dated: 7-04-2022



अंडमान तथा निकोबार प्रशासन ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION प्रदुषण नियंत्रण समिति

POLLUTION CONTROL COMMITTEE

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Dolly Guni, Port Blair-744 103 Tel/Fax 250370 e-mail: dstpcc-andamans@nic.in

सार्वजनिक नोटिस

तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय-सीजीआरएचक्यू, पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वर्तमान में एक्सपायर्ड ऑयल स्पिल डिस्पर्सेंट (ओएसडी) के 12648 लीटर (टाइप- ॥ 6575.5 लीटर और टाइप- ॥ 6072.5 लीटर) का स्टॉक है, जिसे परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारिलिय संचलन) नियम, 2016 के अनसची के तहत वर्गीकृत किया गया है।

पर्यावरण के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारिलिय संचलन) नियम, 2016 और सीपीसीबी दिशानिर्देशों के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार समाप्त हो चुके तेल रिसाव फैलाने वाले का निपटान करना आवश्यक है।

इस संबंध में, अंडमान और निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति (एएनपीसीसी) एतद्दवारा इच्छुक एजेंसियों / पुनर्चक्रणकर्ताओं से अनुरोध करती है जो खतरनाक कचरे को एकत्र, स्टोर और सुरक्षित रूप से नियम अनुसार परिवहन और निपटान कर सकते हैं तुरंत संपर्क करें। इच्छुक एजेंसी को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 और परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारिलिय संचलन) नियम, 2016 के अनुसार प्राधिकरण के तहत सीटीई / सीटीओ के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।

सदस्य सचिव (एएनपीसीसी)

फ. नं. ९-२/ पीसीसी / एम.पी /२०२१ 💯 🕏

दिनांक: 7 -04-2022